

दिनांक-26.02.2026 को सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की अध्यक्षता में क्षेत्रीय मुख्य अभियंता पूर्णिया प्रक्षेत्र, पूर्णिया, अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, सहरसा एवं कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, सहरसा, मधेपुरा एवं सुपौल के साथ विभागीय योजनाओं के एकरारनामा, मरम्मति दल एवं स्टोर/भंडारण आदि हेतु आयोजित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही:-

**1. MIS Mapping/Entry (Store/Material/Contractor/Supervisor/Repair Team/Electric Meter/Electricity Bill/Call Report/Land Availability etc.):-**

❖ समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि प्रमंडलों द्वारा MIS पर Contractor/Supervisor/Repair Team/Electric Meter/Electricity Bill/Land Availability की प्रविष्टि में कई त्रुटियां हैं अथवा आंशिक प्रविष्टि की गयी है, साथ ही समीक्षा के दौरान संज्ञान में आया कि मरम्मति दल/सुपरवाइजर से संबंधित मोबाइल नंबर काफी अधिक संख्या में गलत अपलोड किया गया है। जिसके कारण नियमानुकूल कार्रवाई/ससमय शिकायतों का निष्पादन नहीं हो पा रहा है। इससे यह प्रतीत हो रहा है कि प्रक्षेत्र/अंचल/प्रमंडल स्तर से MIS पर प्रविष्टि का अनुश्रवण नहीं किया जा रहा है, इस संबंध में खेद व्यक्त करते हुए सभी प्रमंडलों को सख्त निदेश दिया गया कि अगले दो दिनों के भीतर MIS पर त्रुटि रहित Mapping/Entry (वार्डवार/योजनावार) शत-प्रतिशत करना सुनिश्चित करें। क्षेत्रीय मुख्य अभियंता पूर्णिया प्रक्षेत्र, पूर्णिया, अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, सहरसा को मैपिंग के कार्यों का अनुश्रवण कर समीक्षा करने हेतु निदेशित किया गया।

**Supervisor CallReport :-**

Sr. No	Division Name	Department	Total	Received Call	Wrong Number	Left	Not Contacted
1.	SUPAUL	PHED	185	96	16	7	66
2.	SAHARSA	PHED	145	75	6	6	58
3.	MADHEPURA	PHED	198	140	10	6	42

अनुपालन:-संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता।

❖ समीक्षा के क्रम में संज्ञान में आया कि कई संवेदकों द्वारा एक ही मोबाइल नं० से सुपरवाइजर का मैपिंग कर विभिन्न पंचायतों का कार्य कराया जा रहा है जिससे लंबित शिकायतों का निस्तारण ससमय नहीं हो पा रहा है। इस संबंध में संबंधित कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया गया कि त्रुटियों को सुधार करते हुए मैपिंग का कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालन:- संबंधित कार्यपालक अभियंता।

- ❖ संबंधित कार्यपालक अभियंता अपने क्षेत्रांतर्गत योजनाओं में जमीन उपलब्धता संबंधी MIS पर पूर्ण रूप से प्रविष्टि कराना सुनिश्चित करेंगे। जिसका अनुश्रवण संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता एवं संबंधित अधीक्षण अभियंता सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालन:- संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता।

- ❖ सभी प्रमंडलों को निदेशित किया गया था कि संवेदकों द्वारा स्थापित स्टोर/भंडार का GPS Location अंकित करते हुए/फोटोग्राफ्स सहित एवं सभी सामग्रियों की अवयववार Inventory की MIS पर प्रविष्टि करेंगे और पंजी का संधारण करेंगे। परन्तु समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि उक्त प्रमंडलों द्वारा सामग्रियों का अवयववार Inventory की MIS पर प्रविष्टि नहीं की गई है और यह भी पाया गया कि विभागीय दिशा-निदेश के अनुरूप प्रमुख सामग्रियों का भंडारण नहीं किया गया है। सभी कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया गया कि क्षेत्रांतर्गत संचालित योजनाओं के संवेदक अपने स्थापित भंडार गृह में निर्माण/मरम्मत एवं संपोषण कार्य में प्रयुक्त हो रहे सामग्रियों का एकरारनामा के 10 प्रतिशत अनुपात में दो दिनों के अंदर संग्रह सुनिश्चित करेंगे एवं स्थल पर विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जनहित के लिए प्रदर्शित करेंगे।

अनुपालन:- संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता।

## 2. CGRC निष्पादन:-

- ❖ समीक्षा के क्रम में लोक स्वास्थ्य प्रमंडल सहरसा, मधेपुरा एवं सुपौल में 30 दिनों से अधिक लंबित शिकायतों की समीक्षा की गई जिसमें पाया गया कि कतिपय संवेदकों द्वारा शिकायतों का निष्पादन कराने में लापरवाही बरती जा रही है एवं विभागीय समय सीमा के अन्दर नहीं कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त ज्ञात हुआ कि कतिपय संवेदकों द्वारा शिकायत निराकरण में औसत से अत्याधिक समय लिया जा रहा है, जिस पर संबंधित कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया गया कि एकरारनामा के अनुरूप Debar/Rescind/Blacklist करना सुनिश्चित करेंगे एवं कृत कार्रवाई से मुख्यालय को अवगत कराएंगे। संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता एवं संबंधित अधीक्षण अभियंता को निदेश दिया गया कि लंबित शिकायतों का अनुश्रवण करते हुए समय सीमा के अंदर निष्पादन कराना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालन:- संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता।

- ❖ अधीक्षण अभियंता, अंचल सहरसा एवं कार्यपालक अभियंता, सहरसा, मधेपुरा एवं सुपौल को निदेशित किया गया कि 16-30 दिनों एवं 30 दिनों से अधिक लंबित शिकायतों का स्वयं निरीक्षण कर प्रतिवेदन मुख्यालय को समर्पित करेंगे। साथ ही संबंधित कार्यपालक अभियंता 16-30 दिनों एवं 30 दिनों से अधिक लंबित शिकायतों का ससमय निष्पादन करना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालन:- संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता।

### 3. विद्युत विपत्र की स्थिति :-

- ❖ विभागीय योजनाओं के विद्युत उपभोक्ता संख्याओं के सत्यापित बकाया राशि (दिनांक-01.09.2025 के आधार पर) के विरुद्ध भुगतान की स्थिति संतोषप्रद नहीं पाया गया है। इस पर खेद व्यक्त करते हुए संबंधित सभी कार्यपालक अभियंताओं को विभाग द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान कराने का निदेश दिया गया। संबंधित कार्यपालक अभियंताओं द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान नहीं करने वाले एजेंसी/संवेदकों के विरुद्ध एकरारनामा में प्रावधानित शर्तों के आलोक में डिवार/रिसाइंड/काली सूची में डालने आदि संबंधी नियमानुकूल कार्रवाई की जाएगी। इस कार्य का अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, सहरसा द्वारा नियमित रूप से अनुश्रवण किया जाएगा।

**अनुपालन:-संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता।**

- ❖ कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, सहरसा, मधेपुरा एवं सुपौल को अगले तीन दिनों के अंदर अधीनस्थ सभी जलापूर्ति योजनाओं के विद्युत उपभोक्ता संख्याओं का विभागीय MIS पर त्रुटिरहित Mapping तीन दिनों के भीतर कराने का निदेश दिया गया। इस कार्य में संबंधित सहायक यांत्रिक अभियंता सह-नोडल पदाधिकारी द्वारा सहयोग प्रदान किया जाएगा। अधीक्षण अभियंता, सहरसा उक्त कार्य की प्रगति का दैनिक अनुश्रवण करते हुए निर्धारित अवधि के भीतर MIS पर प्रविष्टि कराना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित अवधि के भीतर त्रुटिरहित Mapping नहीं होने की स्थिति में अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, सहरसा द्वारा संबंधित कार्यपालक अभियंता के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने की अनुशंसा की जाएगी अन्यथा उन्हें भी दोषी मानते हुए उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।

**अनुपालन:-संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता/  
संबंधित सहायक यांत्रिक अभियंता सह-नोडल पदाधिकारी।**

- ❖ लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, सहरसा, मधेपुरा एवं सुपौल से संबंधित सहायक अभियंता यांत्रिक सह-नोडल पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि जलापूर्ति योजनाओं के विद्युत उपभोक्ता संख्याओं का विभागीय MIS पर हो रहे Mapping कार्यों का नियमित रूप से अनुश्रवण करते हुए विद्यमान त्रुटियों को संबंधित कार्यपालक अभियंताओं के संज्ञान में लाते हुए अविलंब निराकरण कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही उनके द्वारा शून्य अथवा अत्यल्प विद्युत उर्जा खपत वाले उपभोक्ता संख्याओं की सूची संबंधित कार्यपालक अभियंता को नियमित रूप से उपलब्ध कराया जाएगा। शून्य अथवा अत्यल्प विद्युत उर्जा खपत वाले उपभोक्ता संख्याओं के मामले में संबंधित कार्यपालक अभियंता के द्वारा स्वयं स्थलीय जाँच कर योजनाओं की समुचित क्रियाशीलता सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही इस मामले में उनके द्वारा संबंधित एजेंसी/संवेदकों के विरुद्ध विभागीय SOP एवं एकरारनामा में प्रावधानित शर्तों के आलोक में नियमानुकूल कार्रवाई

की जाएगी। इस कार्य का अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, सहरसा द्वारा पाक्षिक रूप से अनुश्रवण किया जाएगा।

**अनुपालन:—संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता/संबंधित सहायक यांत्रिक अभियंता सह—नोडल पदाधिकारी।**

- ❖ विद्युत उपभोक्ता संख्याओं के सत्यापित बकाया राशि के विरुद्ध प्रतिवेदित भुगतान का अगले दो दिनों के अंदर अचूक रूप से विभागीय MIS पर साक्ष्य सहित त्रुटिरहित प्रविष्टि कराने का निदेश संबंधित सभी कार्यपालक अभियंताओं को दिया गया। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता अवांछनीय होगी।

**अनुपालन:—संबंधित कार्यपालक अभियंता/संबंधित सहायक यांत्रिक अभियंता सह—नोडल पदाधिकारी।**

- ❖ समीक्षा के क्रम में लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, सहरसा, मधेपुरा एवं सुपौल अंतर्गत कतिपय योजनाओं में उर्जा खपत शून्य पाया गया। जिससे प्रतीत होता है कि योजना क्रियाशील नहीं है, परंतु संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि योजना चालू है। संबंधित अधीक्षण अभियंता को निदेश दिया गया कि शून्य उर्जा खपत वाले जलापूर्ति योजनाओं का स्वयं स्थलीय जांच कर योजनाओं की क्रियाशीलता सुनिश्चित करायेंगे। साथ ही इस मामले में संबंधित एजेंसी/संवेदकों के विरुद्ध विभागीय SOP एवं एकरारनामा में प्रावधानित शर्तों के आलोक में नियमानुकूल कार्रवाई सुनिश्चित करायेंगे। इस कार्य का क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रक्षेत्र, पूर्णियाँ द्वारा पाक्षिक रूप से अनुश्रवण किया जाएगा।

**अनुपालन:—संबंधित मुख्य अभियंता/संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता।**

#### **4. अन्यान्य:—**

- ❖ समीक्षात्मक बैठक में समीक्षा के दौरान लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, सहरसा एवं मधेपुरा में संबंधित संवेदकों द्वारा लंबित अवधि से मरम्मत एवं संपोषण की राशि का भुगतान लंबित रहने की सूचना दी गयी। इस संबंध में मुख्यालय स्तर से टीम गठित करते हुए जांच कर प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया।


**अनुपालन:—अभियंता प्रमुख सह—विशेष सचिव (मु0)**

- ❖ सभी प्रमंडलों को कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया गया जिन योजनाओं में O&M अवधि समाप्त हो चुकी हैं या होने वाली है, जब तक नये संवेदकों/एजेंसियों निविदा में नहीं आ जाते तब तक पूर्व के संवेदकों/एजेंसियों को समयवृद्धि विस्तार हेतु पत्र निर्गत कर जलापूर्ति योजनाओं की क्रियाशीलता को सुचारू रखेंगे। साथ ही O&M अवधि समाप्त हुये योजनाओं की सूची मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

**अनुपालन:— सभी कार्यपालक अभियंता।**

बैठक में प्राप्त सभी निदेशों का अनुपालन ससमय करने हेतु सभी उपस्थित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही संपन्न की गई।

  
(पंकज कुमार पाल)  
सचिव  
24/03/26

ज्ञापांक:- 14/03/26 - 10/9/24 - 281

दिनांक- 01/4/26

प्रतिलिपि:-सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रक्षेत्र, बिहार/सभी अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक सहित), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल/सभी कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक सहित), लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बिहार/सभी सहायक यांत्रिक अभियंता-सह नोडल पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिक अवर प्रमंडल, बिहार, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(नित्यानन्द प्रसाद)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव  
(मुख्यालय)

ज्ञापांक:- 14/03/26 - 10/9/24 - 281

दिनांक- 01/4/26

प्रतिलिपि:-अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (मु0/का0प्र0)/अपर सचिव/सभी मुख्य अभियंता (उत्तर बिहार/दक्षिण बिहार/यांत्रिक/अनुश्रवण)/अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव के प्रावैधिक सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी संबंधित नोडल पदाधिकारी/बजट पदाधिकारी/आई0 टी0 मैनेजर/संबंधित सहायक अभियंता/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(नित्यानन्द प्रसाद)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव  
(मुख्यालय)

ज्ञापांक:- 14/03/26 - 10/9/24 - 281

दिनांक- 01/4/26

प्रतिलिपि:-सचिव के प्रधान आप्त सचिव /विशेष सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।




(नित्यानन्द प्रसाद)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव  
(मुख्यालय)

ज्ञापांक:- 14/03/26 - 10/9/24 - 281

दिनांक- 01/4/26

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री के आप्त सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।



(नित्यानन्द प्रसाद)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव  
(मुख्यालय)